न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–44/2015/टोंक (2015/00067)

1. श्रीमती मंगली पत्नि शंकर, जाति तेली,
2. श्रीमती लाली पत्नि गणेश, जाति तेली,
   समस्त निवासीगण ग्राम कठमाना, तह0 पीपलू, जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. जीवणी उर्फ लता पुत्री मोती धर्मपत्नि श्याम सुन्दर, जाति भाट, नि0 ग्राम ग्राम कठमाना हाल निवासी 11– अलंकार विहार सीरसी रोड़, जयपुर ।
2. सत्यनारायण पुत्र मोती भाट, निवासी ग्राम कठमाना हाल निवासी प्लॉट नं0 112/516, अग्रवाल फार्म, जयपुर ।
3. ग्राम पंचायत कठमाना जरिये सरपंच, तह0 पीपलू, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक दिनांक 16.32015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16.4.2015 अंतर्गत अपील संख्या 02/2013 .

उपस्थितः–

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री विकास पाराशर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांक :– 23.7.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 16.3.2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16.4.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002, जो ग्राम पंचायत, कठमाना द्वारा स्वीकृत किया गया से व्यथित होकर प्रथम अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 759 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नंबर 1218 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0चाह, खसरा संख्या 1663 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा गे0मु0चाह, खसरा संख्या 1664 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0चाह, खसरा संख्या 997 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1656 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम कठमाना, तह0 पीपलू में अवस्थित है, जो कमला बेवा मोती, सत्यनारायण पुत्र मोती, जीवनी पुत्री मोती के नाम राजस्व रिकार्ड में बराबर हिस्सा से दर्ज थी । उक्त नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 2 ने जीवणी को मृत बताकर अपने नाम तस्दीक करवा लिया जबकि वह जीवित है । नामांतकरण संख्या 985 प्रथमदृष्टया प्रभावहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 16.3.2015 को निर्णय पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 को अपास्त करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेट संख्या 1 व 2 के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोर्डेट्स की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामांतकरण संख्या 985 में लिप्त आराजियात खसरा संख्या 997 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1018 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम कठमाना तहसील पीपलू अन्य आराजियात के साथ–साथ रेस्पो0 संख्या 2 सत्यनारायण के नाम खातेदारी में अंकित थी । उक्त आराजियात को अपीलांट्स ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 7.6. 2013 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट्स के नाम नामांतकरण संख्या 2064 दिनांक 5.7.2013 को तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम खातेदारी से अंकित है । रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 985 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलांट्स को जानबूझकर पक्षकार बनाये बिना अपीलांट्स के नाम दर्ज आराजियात को आदेश एवं संशोधित आदेश द्वारा नाम दर्ज करवाने के एकतरफा में आदेश प्राप्त कर लिये है । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 16.3.2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 16.4.2015 से अपीलांट के हितों पर सीधा प्रभाव पड़ा है जिसके कारण उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णयों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया न्यायोचित एवं आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.3.

2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16.4.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 के विरूद्ध अपील अधी0न्याया0 में दिनांक 12.11.2013 को प्रस्तुत की और उक्त अपील दिनांक 4.12.2013 को दर्ज कर नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये है उसके पश्चात् 13 पेशियों तक सील लगाकर तारीख तब्दील की है। कहीं पर भी यह अंकित नहीं है कि कब नोटिस पेश किये और कब जारी किये गये है । इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 2 की तामील दिनांक 4.3. 2014 रजिस्टर्ड ए0डी0 की कोई रसीद जो नोटिस भेजने पर दी जाती है, को आधार बनाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 की तामील बाबत् पत्रावली में कोई अंकन नहीं है । अधी0न्याया0 में पत्रावली दिनांक 29.1.2015 से 29.3.2015 नियत थी लेकिन रेस्पो0 द्वारा लोक अदालत दिवस पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब कर ली गई और उसी दिन सभी कार्यवाही संपादित कर दी गई, बयान ले लिये गये तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 2 की एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिखा दिया गया जो विधिक प्रक्रिया का स्पष्टतया उल्लघंन है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 16.3.2015 को निर्णय पारित करने के पश्चात् दिनांक 16.4.2015 को रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 जा0दी0 प्रस्तुत किया जिसमें खरीददारों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था उन्हें हटाया जाकर 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज करने का निवेदन किया जाने पर भी अपीलांटस व अन्य खरीददारों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बावजूद उनको बिना सुने संशोधित आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

5- विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपील लगभग 11 वर्ष 6 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई थी तथा उक्त विलंब के संबंध में रेस्पो0 संख्या 1 ने धारा 5 मियाद अधी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन प्रार्थना पत्र में जो कारण विलंब किये है वे संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं थे जिसके कारण विलंब क्षम्य किया जा सके इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 की अपील में विलंब को बिना किसी कारण के क्षम्य कर रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांटस ने आगे कथन किया कि अपीलांटस ने रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील से पूर्व रेस्पो0 संख्या 23 से विवादित आराजी खसरा संख्या 997 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 1018 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2013 को क्रय कर ली थी तथा उक्त क्रय के आधार पर अपीलांटस के नाम नामांतकरण संख्या 2064 दिनांक 5.7.

2013 को तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका था इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान अपीलांट्स को अधी0न्याया0 में प्रस्तुत अपील में पक्षकार कायम किए बिना अपीलांट्स की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित करवाये है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में कथन किया कि नामांतकरण संख्या 985 के पश्चात् नामांतकरण संख्या 2055 दिनांक 20.5.2013 से कमला की विरासत से पारित किया गया है, इसी प्रकार नामांतकरण में अंकित आराजी विभिन्न खरीददारों के नाम विक्रय पत्रों के आधार पर दर्ज की जा चुकी है इसलिये उन सभी नामांतकरणों को चुनौती देकर निरस्त नहीं करवा ले तब तक नामांतकरण संख्या 985 की अपील चलने योग्य नहीं है क्योंकि वर्तमान में नामांतकरण संख्या 985 का प्रभाव समाप्त हो चुका है । अंत में विद्वान वकील अपीलांट्स ने कथन किया कि अपीलांट्स विवादित भूमि के सद्भाविक क्रेता होकर अपीलांट्स के नाम नामांतकरण संख्या 2064 स्वीकृत होने के उपरांत राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स दर्ज खातेदार थे जिन्हें रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील में पक्षकार कायम नहीं किये जाने से साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नहीं मिला जिससे वे अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं रख सके । अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा में पारित निर्णय दिनांक 16.3.2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16.4. 2015 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किया जावे। xx

6- विद्वान वकील रेस्पोडेटस संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 सत्यनारायण ने विवादित भूमि का नामांतकरण संख्या 985 गलत रूप से रेस्पो0 संख्या 1 जीवणी को मृतक बताते हुए, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से की भूमि को अपने नाम करवा लिया था जबकि रेस्पो0 संख्या 1, जो कि मोती भाट की पुत्री है, जो जीवित है । पुलिस अधिकारी ने बाद अनुसंधान रेस्पो0 संख्या 1 को जीवित होना पाया है तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दर्ज एफ0आई0आर0 में अनुसंधान किया जाकर अपराध प्रमाणित पाये जाने पर रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया है । नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है। रेस्पो0 संख्या 1 स्व0 मोती भाट की पुत्री है, जिसका विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा है । ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण संख्या 985 तस्दीक करते समय बिना जांच किये नामांतकरण तस्दीक किया गया है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अवैध एवं प्रभाव शून्य आदेशों के विरूद्ध मियाद कानून बाधित नहीं है । अधी0न्याया0 ने मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है इसलिये अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा मियाद बिन्दु निर्णित किये बिना अपीलाधीन आदेश संबंध कथन असत्य है एवं निराधार है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 16.3.2015 द्वारा रेस्पो0 संख्या

1 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, पीपलू को आदेश दिये थे कि नामांतकरण संख्या 985 से पूर्व की राजस्व स्थिति को बहाल किया जावे उसमें कमला बेवा मोती का नाम हटाकर 1/2 हिस्से की एवं खसरा नंबर 1656 में हिस्सा 1/3 की खातेदारी का अंकन अपीलांट के पक्ष में किया जावे किन्तु अपीलांट द्वारा नामांतकरण संख्या 985 की आड़ में विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 के हक व हिस्से तक किये समस्त संव्यवहार/इंद्राज भी स्वंतः ही प्रभावहीन व शून्य हो गये थे जिससे संदर्भित खसरा नंबर के 1/2 हिस्से तक एवं खसरा नंबर 1656 के हिस्से 1/3 तक रेस्पो0 संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में जोड़ा जाना आवश्यक था । इसी प्रकार अन्य खसरा नंबरान में भी संशोधन किया जाना आवश्यक था इसलिये अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 जा0दी0 स्वीकार कर संशोधित आदेश दिनांक 16.4.2015 को पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 985 में लिप्त आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 से क्रय करने एवं स्वंय के नाम नामांतकरण संख्या 2064 तस्दीक होने का कथन किया है किन्तु जब नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 ही अपास्त हो चुका है तो विक्रय के आधार पर तस्दीक किया गया नामांतकरण भी स्वतः ही प्रभावशून्य हो जाते है । अपीलांट्स दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे ।

7- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिविरूद्ध है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याा0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 2 की फर्जी तामील कराकर एवं अपीलांट्स, जो कि विवादित भूमि का सद्भाविक क्रेता होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज थे, को बिना पक्षकार बनाये अधी0न्याया0 को मुगालते में रखकर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित कराये है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वच्छ हाथों से अपील प्रस्तुत नहीं कर तथ्य छिपायें है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट्स पक्षकार नहीं होने से एवं रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से वे अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं रख सके थे । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे ।

8- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7. 2002 में रेस्पो0 संख्या 2 सत्यनारायण के नाम लिप्त आराजी खसरा नंबर 997 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1018 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा खातेदार रेस्पो0 संख्या 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2013 को क्रय

की थी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में नामांतकरण संख्या 2064 दिनांक 5.7.2013 को तस्दीक किया जाकर उक्त नामांतकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जा चुका था । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में प्रस्तुत अपील में अपीलांट्स को पक्षकार नियुक्त नहीं किया है जिससे अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर नहीं मिला । अपीलाधीन निर्णयों से अपीलांट्स के हित प्रभावित होना स्पष्टतया प्रकट होता है । अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.3.2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16.4.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोर्डेंट्स की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 में लिप्त आराजियात के खातेदार रेस्पो0 संख्या 2 सत्यनारायण से विवादित आराजी खसरा संख्या 997 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1018 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा खातेदार रेस्पो0 संख्या 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2013 को क्रय की थी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में नामांतकरण संख्या 2064 दिनांक 5.7.2013 को तस्दीक किया जाकर उक्त नामांतकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जा चुका था । अपीलांट्स राजस्व जमाबंदी में उपरोक्त खसरा नंबरान के रिकार्डेड खातेदार दर्ज थे जिनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व इन्हें सुना जाना आवश्यक था । अपीलांट्स अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील में आवश्यक पक्षकार थे किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने जानबूझकर अपीलांट्स को अधी0न्याया0 में प्रस्तुत नामांतकरण संख्या 985 की अपील में पक्षकार कायम नही किया जिससे अपीलांट्स को अपना पक्ष रखने एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । रिकार्डेड खातेदार को बिना सुने आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है । अधी0न्याया0 का भी यह दायित्व था कि राजस्व जमाबंदी में दर्ज समस्त खातेदारों को, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, पक्षकार नियुक्त करने के आदेश रेस्पो0 संख्या 1 को देते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट्स जो कि अधी0न्याया0 में नामांतकरण संख्या 985 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आवश्यक पक्षकार थे किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स की पीठ–पीछे एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

10- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 16.3.2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16.4.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीपलू को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 44/2015 (2015/00067) बउनवानी मंगली बनाम जीवणी उर्फ लता को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक द्वारा अपील संख्या 2/2013 बउनवान जीवणी उर्फ लता बनाम सत्यनारायण में पारित निर्णय दिनांक 16.3.2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 16.4.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, पीपलू को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में अपीलांटस एवं अन्य आवश्यक खातेदारों को पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 23.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर